हिमाचल प्रदेश विधान सभा

.....

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 31 अगस्त, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई ।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

31.08.2015/1100/negi/Ag/1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ आर्डर ।

अध्यक्ष: क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर है?

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम-130 में चर्चा के लिए 3 नोटिस दिए थे। मेरे अलग-अलग विषयों पर 3 नोटिस थे और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे। लेकिन उन तीनों विषयों में से एक भी चर्चा पूरे विधान सभा सत्र में नही लगी। मेरे प्रमुख विषय थे, एक था भ्रष्टाचार का, जो ढ़ाई साल में प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार किया है जिसकी हमने चार्जशीट भी सौंपी, उसकी चर्चा करनी थी । यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि आज मुख्य मंत्री का कार्यालय तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना है लेकिन मुख्य मंत्री महोदय का घर भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। .....(व्यवधान)....

Speaker: You cannot make it this way. आप बैठ जाइये। _(व्यवधान)_ Remarks are expunged. You cannot do it. Please sit down. You cannot accuse any person by name._(व्यवधान)_ मैं कह रहा हूं कि कोई परसनल एलीगेशन नही लगा सकते । You cannot do it. ....(व्यवधान).... आप परसनल बात कर रहे हैं। ....(व्यवधान).... मैंने आपकी ही चर्चा लगाई है, आप ही के चर्चा लगेंगी और इसमें मेरी कोई चर्चा नही है। ....(व्यवधान).... Whatever is important वह लगाया है। .....(व्यवधान).... आप सुनिये । You cannot make it. _(interruption)_ एक्सपंज करिये। Remarks have been expunged. _(व्यवधान)_ प्लीज बैठ जाइये। _(interruption)_ You cannot make allegations against somebody. --(interruption)-- यह गलत बात है। .....(व्यवधान)...

31.08.2015/1100/negi/Ag/2

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय हमने भ्रष्टाचार पर चर्चा करनी थी। ....(व्यवधान) .... बिजली विभाग में मीटर बदले और उसमें जो घोटाला किया गया उस पर चर्चा करनी थी । ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः आपके पास एक हफ्ते का चांस था और एक हफ्ते में आपने चर्चा नही की। आपने यह चर्चा पहले करनी थी। जो मैटर लगे हुए हैं आप उसपर बोलिये। ...(व्यवधान) ...बात सुनिये।

श्री रणधीर शर्माः जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है अवैध कब्ज़ों पर... (व्यवधान)...
अध्यक्षः उसके लिए चर्चा रखी थी और आपने उसमें बोलना था। ....(व्यवधान)...
श्री रणधीर शर्माः आप किसी भी मुद्दे पर चर्चा नही कराना चाहते तो हमारे विपक्ष के विधायकों का यहां आने का औचित्य क्या है ? ....(व्यवधान)....

अध्यक्षः आप चर्चा कर सकते हैं। ....(व्यवधान)...

श्री रणधीर शर्माः आज 7 दिन हो गए हैं, आज भी 10 प्रश्नों में से सिर्फ 5 प्रश्न लगे हैं। हमारे पूरे प्रश्न ही नहीं लग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि उन विषयों पर चर्चा हो और आप आश्वासन दें कि आज ही जो मैंने 3 नोटिस दिए हैं, वे जनता से जुड़े हुए, प्रदेश हित से जुड़े हुए नोटिस हैं और भ्रष्टाचार पर नोटिस है। _(व्यवधान)_
अध्यक्षः प्लीज-प्लीज।.... (व्यवधान)....

श्री रणधीर शर्माः उनको आप कृपया लगाएं और तब जा करके आप आगे की कार्रवाई शुरू करें। आप ऐसा आश्वासन दें । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, यह जो विधायक (CPS) ने टिप्पिणियां की हैं ....(व्यवधान).......

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी.....

31.08.2015/1105/**यूके**/**एजी**/1

Speaker: Not allowed. You cannot do it. ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः नीरज जी, आप बैठ जाइए । (व्यवधान) आप बैठ जाइए । ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः यह अच्छी बात नही है।..... (व्यवधान) ...प्लीज, ऐसा, नहीं है, आप पहले टेबल पर ले करिए फिर मैं देखूंगा । आप बैठ जाइए । भारद्वाज जी, आप क्या बोलना

चाहते हैं?--- (व्यवधान) ---प्लीज़ आप बैठ जाइए । Please keep quiet. Be in order.

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार को इस सदन में प्रश्न काल बहुत शांतिपूर्वक और ठीक प्रकार से चला और इस सदन के प्रारम्भ होने से पहले ही जिस प्रकार की टिप्पणियां सदन के नेता द्वारा विपक्ष के सदस्यों के ऊपर आयी थी, उस पर आपने इनिशिएटिव लिया । बातचीत हुई और सौहार्दपूर्ण ढंग से सदन चला । इस सदन में जो 95% एजेंडा इस सदन का, इस सत्र का है, वह विपक्ष के द्वारा दिया गया और उस पर चर्चाएं होती रहीं । जहां प्रोटैस्ट करना था हमने प्रोटैस्ट भी किया । लेकिन शुक्रवार को जिस प्रकार से इस सदन की कार्यवाही चली, एक माननीय सदस्य ने केवल आपसे बात की थी कि नियम 62 के तहत मैने एक नोटिस संजौली कॉलेज की घटनाओं के बारे में दिया है, उस पर क्या फैसला हुआ? आपके द्वारा इस पर बातचीत हो रही थी । जब तक आपका निर्णय नहीं आता, रूलिंग नहीं आती, आप बातचीत कर रहे थे, बीच में ही सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हो जाएं और टिप्पणियां करना शुरू कर दें और उसके बाद सदन में कहें कि जो गुंडागर्दी को सपोर्ट करता है, वे भी *** हैं, ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः नीरज भारती जी, आप बैठ जाइए ।

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष जी, उस दिन अगर माननीय मुख्य मंत्री जी बीच में खड़े न होते, टिप्पणी न करते, तो शायद यह बात न होती और उसके बाद जब प्रोटैस्ट में, यह एक लोकतांत्रिक परम्परा है, कांग्रेस पार्टी इस बार पार्लियामैंट में वैल में ही रही है । जब उसका प्रोटैस्ट करने के लिए हम वैल में गए और जो एक

*****Expunged as ordered by the Chair.**

31.08.2015/1105/यूके/एजी/2

इस सदन का सदस्य है, और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको माननीय संसदीय सचिव बना रखा है और शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण नैतिकता भरा डिपार्टमैंट दे रखा है ,वह अपनी फेसबुक पर जिस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं उसके प्रिंट-आऊट श्री सत्तपाल सिंह सत्ती जी, जो इस सदन के सदस्य हैं और हमारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने वह सदन में दिखाए, माननीय मुख्य मंत्री जी को वह कागज सौंपे और कागज सौंपने के बाद आज तक के इतिहास में, लोकतन्त्र के इतिहास में हिन्दुस्तान में सदस्यों ने कागज फाड़कर फैंके होंगे लेकिन सदन के नेता और मुख्य मंत्री ने किसी भी सदन में आज तक कागज पकड़ कर के, फाड़ कर के सदस्यों के ऊपर नहीं फैंके हैं । This is very strange, Sir. (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, उसके कारण हमने प्रोटैस्ट किया । आपने सदन को एडजॉर्न किया।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

31.08.2015/1110/sls-as-1

श्री सुरेश भारद्वाज...जारी

आपने सदन को एडजर्न किया। हमारा मानना था कि शायद पार्लियामैंट्री अफेयर्ज़ मीनिस्टर के द्वारा या मुख्य मंत्री के द्वारा या आपके द्वारा इनिशिएटिव लेकर हमें बुलाया जाएगा और कोई बातचीत हो जाएगी, जो कि संसदीय परंपरा है। लेकिन कोई बातचीत नहीं की गई। सदन में आकर बहुत महत्वपूर्ण बिल, जिनमें कि एक गलत बिल एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी से संबंधित यहां पर पास किया गया है और उसी तरह से दूसरे बिल बिना चर्चा के पास कर दिए गए हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा नियम-130 के अंतर्गत थी जिसके लिए हम यहां पर बार-बार नोटिस देते रहे हैं। उसमें प्रस्ताव आया और वह बिना चर्चा के पास करवा दिया गया। यह इनकी मानसिकता दर्शाता है क्योंकि ये सदन में चर्चा करना चाहते ही नहीं हैं। ये नहीं चाहते कि विपक्ष यहां पर कोई बात करे ,इसलिए यहां पर इस प्रकार की गुंडागर्दी की गई। रिकॉर्ड पर विपक्ष के बारे में ***शब्द का प्रयोग किया गया है। ---(व्यवधान)---

अध्यक्ष : वह शब्द एक्सपंज कर दिया गया है। ---(व्यवधान)---

श्री सुरेश भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की टिप्पणियां यहां माननीय मुख्य संसदीय सचिव द्वारा की गई हैं, उस व्यवहार को.. ---(व्यवधान)---
उद्योग मंत्री : आप हर बात में माननीय मुख्य मंत्री जी का नाम लाने की बात कर रहे हैं।---(व्यवधान)--

----

***Expunged as ordered by the Chair.

31.08.2015/1110/sls-as-2

श्री सुरेश भारद्वाज : जब तक मुख्य संसदीय सचिव को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता और सदन के नेता उस दिन की बात के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो विपक्ष में हैं, वह इस असहनीय व्यवहार को कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे। ---(व्यवधान)---

अध्यक्ष : प्लीज। ---(व्यवधान)---इसको देखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई आदमी समझता है कि by using his lung power he can carry weight, that is wrong. He has tried to twist the matter. The question was when the incident took place in Centre of Excellence Government College, Sanjauli, I said it is a shameful affair. It is a premeditated attack where a group of students, those who were not belonging to college, had gathered there and attacked the Principal, his wife and staff members. Instead of reprimanding those students, no matter who they are, they are pleading their cause in this House because they are affiliated to them. This is wrong. Sir, I have spent decades in this House and I have never seen open support for violence in this House. If violence took place, we already regretted and condemned it. Secondly, Sir, once a while in the Well of the House you can shout. During the course when they were shouting in the Well we were also standing here. At that time Mr. Satti came in front of me. Firstly, he has no business to come in front of me. Then he gave me paper. I did not tear it. मैंने उसको पकड़कर वापिस उनको दिया कि

यह क्या है? मैं इसको अवमानना नहीं समझता। I gave in his hand back without even reading what it was; because it is wrong. Even if he gave me love letter even that I have it returned but the method of giving it was wrong. Therefore, they have tried to make an issue out of non-issue just to hide their own weakness and all their acts of

31.08.2015/1110/sls-as-3

omission and commission. We are gentle, but don't take our gentleness for granted. If you try to behave like bullies and as destructors, we have right to protest.

Speaker :My request to the Hon'ble Members to keep calm. उसमें क्या एक्शन लेंगे और क्या चर्चा करेंगे?---(व्यवधान)---

जारी English by AS and Hindi by RG

31/08/2015/1115/RG/AS/1

अध्यक्ष महोदय की अंग्रेजी के बाद---क्रमागत

आप इस विषय पर क्या स्पष्टीकरण देंगे ,आप इस पर क्या चर्चा करेंगे, Sattiji, I request you to please close this topic. आप इस विषय को छोड़ दीजिए। सत्ती जी, मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय को छोड़ दें।---(व्यवधान)----- I will not allow. यह गलत बात है। यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। मेरा अनुरोध है, देखिए, आप इतने वरिष्ठ नेता है, हम आपसे ऐसा ऐक्सपैक्ट नहीं करते, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस टॉपिक को छोड़िए।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, जब यहां पर चर्चा शुरू हो गई है और मुख्य मंत्री जी ने अपना स्पष्टीकरण यहां पर दे दिया है, तो इस विषय पर चर्चा चलने दें।

अध्यक्ष : नहीं, ये मुझे कागज़ दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये मुझे कागज दिखा रहे हैं। ---(व्यवधान)-----ठीक है, सत्ती जी, अपनी बात एक सैकण्ड में खत्म करिए। आप मुझे कागज़ न दिखाएं।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि ठीक है कि आप माईक ऑन न करें, लेकिन कृपया चुप हो जाएं। मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। वह सब ध्यान में आ जाएगा। मुख्य मंत्री जी ने शुक्रवार का विषय लिया है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चर्चा होती है, माननीय मुख्य मंत्री जी इस माननीय सदन के नेता हैं। हम सब लोग यहां से नारे लगाते गए ,जहां तक कॉलेज का विषय है, मुख्य मंत्री जी से मेरा कहना है कि आप ऐडवांस में निर्णय दे देते हैं। हम कॉलेज पर चर्चा चाहते थे ,चर्चा में आप भी बोलते कि लड़कों ने, जैसे यहां नीरज भारती जी फोटो दिखा रहे थे ,हम भी लेकर आए थे ,आप भी दिखा सकते थे, हम भी दिखा सकते थे। सही है, कौन गलत है, वह कोर्ट निर्णय करेगा, पुलिस निर्णय करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकन हमारा मत यही था। जो वहां प्रिंसीपल महोदय नेगी साहब हैं, उनको को हम विश्वविद्यालय के समय से जानते हैं ,हम उन्हें बहुत लंबे समय से जानते हैं। वे हमारे भी परिचित हैं और जब आपसे मिलने आए थे, तो हमसे भी मिले थे। हमने भी यही कहा था कि आप लोग बैठ करके बातचीत कर लें। यह अध्यापक और छात्रों का मामला है। इस लेवल तक न जाएं कि प्रिंसीपल के ऊपर छात्र एफ.आई.आर. करें और छात्रों के ऊपर प्रिंसीपल एफ.आई.आर. करें ,आप लोग बैठकर बातचीत कर लें। यदि हमारी जरूरत हुई, तो आप लोग बताना। इसलिए वे चलते-चलते यहां पर

31/08/2015/1115/RG/AS/2

हमसे भी मिले थे कि हमारा इसमें क्या सहयोग हो सकता है। लेकिन आप ऐडवांस में ही निर्णय दे देते हैं कि कुछ *** लोग आए, संजौली कॉलेज के बाहर उन्होंने प्रिंसीपल पर अटैक किया। फिर आप गुस्सा हो गए, जो लड़की वाला मामला है ,फेसबुक के ऊॅपर आया, टी.वी. पर आया ,कैसे प्रिंसीपल साहब ने लड़की को बालों से पकड़ा है। अब मैं उसमें ऐडवांस में यह कहूं कि नहीं जी लड़के ही ठीक हैं और प्रिंसीपल गलत हैं, तो यह मेरा अधिकार नहीं है और न ही आपका अधिकार है। लेकिन आप ऐडवांस में निर्णय दे देते हैं कि यह निर्णय है। वह आपने गलत किया। इसके अतिरिक्त, दूसरा विषय नीरज भारती जी का बीच में आया ,बाई चांस बहुत से लोगों के माध्यम से और फेसबुक के

माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि नीरज भारती जी ऐसे कमैंट्स करते हैं ,जनरल में भी करते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, श्रीमती सुषमा स्वराज जी के ऊपर और श्रीमती स्मृति रानी जी के ऊपर इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पिणयां की हुई हैं, तो उस दिन बाई चांस था ,वह घटना बाई चांस है कि मैंने वे पेपर्ज भी लाए हुए थे। उससे दो दिन पहले भी मैंने आपके किसी नेता के पास वे पेपर्ज दिए थे और मैं आपके पास भी एक पेपर देने गया था कि आप इसको देख लें और नीरज भारती जी से आप लोग बातचीत कर लें। क्योंकि आप इस माननीय सदन के नेता हैं और आप इस पार्टी के भी मुखिया है। तो आप मुझे बोल सकते थे कि ठीक है, आपने पेपर दिया आप लोग जाकर बैठो ,मैं बाद में इसको देख लूंगा। आपने कौन सा उसी समय निर्णय देना था? मैं ऐसा तो नहीं चाहता था कि आप एकदम निर्णय दें और नीरज जी को कोई फांसी दे देंगे। लेकिन आपने जिस तरह का व्यवहार किया ,अब आप जो मर्जी बोलें कि आपने कागज कैसे इकट्ठा करके मुझे हाथ में पकड़ाया। सारा मीडिया जानता है, ऊपर से सब लोग जानते हैं और रिकॉर्ड भी यहां पर होगा। आपने उसको तीन-चार टुकड़े करके फाड़ा और उसके बाद आपने उसको मेरी तरफ फेंका ,शायद उसी के कारण यहां तनाव पैदा हुआ। जो आपके पद की मान-मर्यादा के अनुसार आपको शोभा नहीं देता है। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं। चलिए, वह बातचीत अभी चली है। एक पार्टी का नेता कोई टिप्पणी करे और इतनी बड़ी पार्टी में नीरज भारती जी को कोई बोलने वाला व्यक्ति न हो। ये विधायक हैं,

---

*****Expunged as ordered by the Chair.**

31/08/2015/1115/RG/AS/3

हमारे साथी हैं, तीन बार हम यहां आए हैं और तीन बार ये जीतकर यहां आए हैं। तो कोई भी बातचीत हो सकती है। आज फिर आप 'हिमाचल दस्तक' के मुख पृष्ठ का फोटो स्वयं देख लें ,मुख्य मंत्री जी नाम के साथ ,मैं बोल भी नहीं सकता जो इन्होंने किया हुआ है ,कुत्तों के नाम हमारे नेताओं के नाम पर इन्होंने रखे हुए हैं। आज दस्तक के मुख पृष्ठ पर यह न्यूज लगी हुई है। यानि कि आप इतने कमजोर हो गए हैं कि कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक पार्टी का नेता और सारी पार्टी इतनी कमजोर हो जाए कि उसका विधायक नेशनल लीडर के बारे में ऐसा करे।

अध्यक्ष : सत्ती जी, आप बैठिए, मेरी बात सुनिए।

श्री सतपाल सिंह सत्ती :अगर सोनिया जी के बारे में हमारा कोई व्यक्ति ऐसा बोले और धूमल जी उसको रोक न पाएं ,तो इससे बड़ी कमजोरी धूमल जी की और कोई नहीं होगी। इसलिए इससे बड़ी कमजोरी आपकी और कोई नहीं हो सकती है एक मुख्य मंत्री अपने विधायक को इतने बड़े प्रधानमंत्री जी के ऊपर या नेताओं के ऊपर कमैंट्स करने पर भी अपने विधायक को न रोक पाए ,तो आप इस प्रदेश के मुख्य मंत्री या सदन के नेता हैं भी या नहीं-----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

31/08/2015/1120/MS/DC/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी---------

अपने विधायक को रोक भी न पाए तो आप इस मान्य सदन और प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं भी या नहीं, इसके ऊपर भी प्रश्नवाचक चिह्न लगता है कि आप एक विधायक को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं।

अध्यक्षः सत्ती जी, कृपया बैठ जाइए।

मुख्य मंत्रीः आपकी नीयत पर प्रश्नचिह्न लगता है। -(व्यवधान)- सुनिए, मेरी बात। आपने बोल दिया है। Please sit down and listen to me. -(व्यवधान) -आपने बोल दिया है ,आप बैठिए। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक कहा है कि श्री नीरज भारती के द्वारा फेसबुक पर कुछ लिखा जाता है, मैंने आज तक कभी किसी का फेसबुक नहीं पढ़ा है। I don't know who has written what and in any case it is his private account. It has nothing to do with the Party or the Government. This is his private account and you should ignore it. मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। मैंने स्वयं न कभी फेसबुक रखा है न मैंने कभी उसमें कोई कमैंट भरा है। दूसरी बात, आप वैल ऑफ द हाउस में शोर मचा रहे थे। आप धीरे-धीरे मेरी तरफ आए। आपने मुझे यहां पर कागज दिया। मैंने कागज लिया और फिर उसको मोड़कर आपके हाथ में दे दिया। I did not tear it. कागज फाड़ने का सवाल ही नहीं है। I don't know what your paper was because this is not the way of giving letter to Chief Minister. अगर आपने कागज मुख्य मंत्री को देना था तो आप टेबल ऑफ द हाउस में देते। आप उस कागज को स्पीकार साहब को पेश करते लेकिन आप वैल ऑफ द हाउस से मेरी

सीट के सामने आते हैं। मुझे एक मुड़ा हुआ कागज देते हैं। मैं उस कागज को एक और मोड़ (fold) देता हूं और फिर आपके हाथ में दे देता हूं। What is wrong in that?(व्यवधान)

अध्यक्षः रवि जी, बैठ जाइए। श्रीमती आशा कुमारी जी बोलिए।- (व्यवधान)- आप लोग बैठ जाइए।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी को बोलने के लिए समय दे दीजिए।.

Chief Minister : There was nothing personal between myself and Satti ji. धूमल साहब तो वहां खड़े थे।

31/08/2015/1120/MS/DC/2

संसदीय कार्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यहां पेपर प्रेजैंट करने का एक सैट तरीका है। नियमों के तहत आपको सीट से पेपर प्रेजैंट करना था जोकि स्पीकर साहब को जाता। फिर स्पीकर साहब उन पेपर्ज को सरकार को भेजते। यहां पर डायरैक्ट कोई भी मैम्बर वैल ऑफ द हाउस में आकर मुख्य मंत्री महोदय को पेपर नहीं दे सकता। यह किसी भी नियम में नहीं है। -(व्यवधान)-

मुख्य मंत्रीः हां, वह भी वैल ऑफ द हाउस से आकर दें?

अध्यक्षः माननीय धूमल जी आप बोलिए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, आपने सत्र प्रारंभ होने से पहले एक प्रयास किया था और परिणामस्वरूप लगभग एक हफ्ते सदन की कार्यवाही बड़े सुचारू रूप से चली भी। यदि प्रोटैस्ट/वॉकआउट भी हुए तो कुछ मिनट्स के लिए होते थे और फिर हम आकर सदन में पार्टिसिपेट करते रहे। आज जो मुद्दा उठा हुआ है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि यहां किसी को आना नहीं चाहिए। माननीय संसदीय कार्यमंत्री कह रहे हैं कि आपको ऐसे कागज देने का अधिकार नहीं है। अभी पौने तीन साल पहले आप लोग इस तरफ थे। आपको याद होगा संसदीय कार्यमंत्री महोदय, आप ऊधर (पक्ष की तरफ)आए थे और हररोज़ नारे लगाते हुए आते थे। आपके ही जिले के अनुसूचचित

जाति के हमारे विधायक श्री बलबीर चौधरी जी थे। आपने उनकी अंगुली यहीं सदन में आकर तोड़ दी थी। प्रदर्शन इस तरह के होते रहे,

जारी श्री जे0के0 द्वारा--

31.08.2015/1125/**जेएस/डीसी**/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः---------जारी---
प्रदर्शन इस तरह के होते रहे हैं। यहां के कृषि मंत्री, माननीय सुजान सिंह पठानिया जी अच्छे पंजाबी गायक हैं । ये सदन में आ करके गाने गाते थे। _(व्यवधान)_खैर, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं रखता लेकिन आपको याद होगा कि मुख्य मंत्री जी आप इसी सदन में विपक्ष के नेता थे और उस टेबल पर मैं बैठता था जहां पर आप बैठे हुए हैं। आप उस टेबल को थपथपाते थे और मैं मुस्कुराता था। परसों, शुक्रवार को आपका गुस्सा क्या इज़हार कर रहा था ? आज आपकी महानता होती अगर आप खड़ा हो करके कहते कि मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कागज फाड़ दिए। मैं यहां से देख रहा था जहां पर कैमरा रखा हुआ है, आपको ज्यों ही कागज़ पकड़ाये, आपने मुंह बनाया, कागज़ फाड़े और फेंके। इसके चश्मदीद मुख्य मंत्री महोदय हम भी थे, सारा सदन था, गैलरी में बैठे हुए बच्चे थे, पत्रकार थे और ऑफिसर्ज गैलरी में बैठे हुए ऑफिसर्ज थे। _(व्यवधान)_ माननीय मुख्य मंत्री जी आप मेरी बात सुन लीजिए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने कागज फाड़े नहीं। मैंने उन्हें श्री सतपाल सिंह सत्ती जी के हाथ में दिया।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, हम इस बात से सहमत है कि अगर किसी ने प्रिंसिपल के साथ ज्यादती की है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। वह पक्ष सरकार की तरफ से आना चाहिए था। अगर प्रधानाचार्य का अपमान होता है तो पूरी संस्था का अपमान होता है। विद्यार्थी परिषद ने उसको condemn किया कि अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ, हम condemn करते हैं लेकिन अगर लड़की को बालों से पकड़ कर घसीटा गया है तो वह भी उतना ही निंदनीय है।--- (व्यवधान) ---दरअसल ज्यो-ज्यों आयु बढ़ती है तो कई बार याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और गुस्सा बढ़ जाता है। _(व्यवधान)_

31.08.2015/1125/जेएस/डीसी/2

मुख्य मंत्रीः धूमल साहब ,मैं आपकी एक-एक करतूत को शुरू से ले कर आज तक जानता हूं। मैं कुछ नहीं भूला हूं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मुख्य मंत्री जी, हमने बड़ी करतूतें की होंगी लेकिन अपना रहने का मकान किसी कम्पनी को किराये पर नहीं दिया। _(व्यवधान)_

मुख्य मंत्रीः मैंने अपना रहने का मकान किसी को नहीं दिया। I rented out a Out House. आऊट हाऊस में और अपने मकान में बड़ा फर्क हैं। ____(व्यवधान)____
प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी को हमारी करतूत लगती है। ____(व्यवधान)____

अध्यक्षः श्री रविन्द्र सिंह जी,आप प्लीज बैठिये। ____(व्यवधान)____

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः माननीय मुख्य मुख्य मंत्री जी के सेब के बागीचे की प्रोडक्शन अगर तीन साल के बाद तीन गुणा हो जाती है तो मेरा षडयंत्र होता है। आय इनकी बढ़ती है और षड़यंत्र हमारा होता है। स्कूटर में सेब चले जाते हैं और छोटी गाड़ियों में सेब चले जाते हैं । ____(व्यवधान)____

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। I don't mind it and I am not afraid of it. इनकी वजह से और अनुराग ठाकुर जी की वजह से आज शायद सी.बी.आई. ने रिपोर्ट दी और मुझे क्लीन चिट दिया। पहले सी.बी.आई. की इन्क्वायरी, फिर इन्कम टैक्स की इन्क्वायरी और फिर ई.डी. की इन्क्वायरी। अब कौन-कौन सी इन्क्वायरीज हैं? यदि कोई और बच गया है तो आप अमेरिका और बर्तानिया की जो सिक्रेट पुलिस है, उनकी भी मदद लीजिए। I have nothing to be afraid of. आपके वक्त में, आप दो दफा मुख्य मंत्री थे ____(व्यवधान)____दोनों दफा आपने मेरे खिलाफ फौज़दारी मुकद्दमें चलाए---(व्यवधान)----

1.08.2015/1125/जेएस/डीसी/3

I faced session trial two times and I came clean. (Interruption) आप किसको दिखाते हो ? ____(व्यवधान)____आप हाऊस तो क्या आप हिमाचल की पब्लिक को बाहर भी मुंह नहीं दिखा सकते ? You are a vindictive man. You are a rottle man.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आप इसीलिए मुंह छिपाने दिल्ली के लिए जा रहे हैं ।

मुख्य मंत्रीः मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं यहीं पर बैठा हूं। _(व्यवधान)_ कहीं नहीं जा रहा। आप क्या करेंगे? आप मेरे खिलाफ झूठे मुकद्दमें चलाते हैं। आपकी सरकार , आपकी पुलिस और आप अपने बेटे को करोड़ों रूपये की जमीन देते हैं और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट ऐसोसिएशन के नाम से जमीन देते हैं। आज वह जमीन कहां है? आज वह जमीन एक कम्पनी के रूप में बदल गई है। ----(व्यवधान)----

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

31-08-2015/1130/SS-AG/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

आज वह एक कम्पनी के रूप में बदल गई है। You have favoured HPCA. आज एच0पी0सी0ए0 क्या है? उसको करोड़ों रुपये की ज़मीन दी गई I am not against that. अच्छी बात है। वे कानपुर में जाकर सरकार की पीठ के पीछे हिमाचल की क्रिकेट एसोशियेशन का नाम बदल देते हैं। हिमाचल प्लेयर्ज़ की क्रिकेट एसोशियेशन बनाते हैं, उसके बाद उसका नाम बदल कर एच0पी0सी0ए0 बनाते हैं और फिर उसको कम्पनी बना देते हैं I You are trying to usurp the land given to the Association for legitimate problem. हमारे मुंह मत खोलिये You stand charged for favouring your son in every way. ---(व्यवधान)----

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल का समय है इसलिए प्रश्नकाल शुरू किया जाए।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाज़ी करते रहे।)

अध्यक्षः धूमल जी, मेरा निवेदन है कि आप सब बैठ जाएं। प्लीज़ सभी बैठ जाएं। Be calm, please.

प्रश्नकाल आरम्भ।

श्रीमती आशा कुमारी जी। ---(व्यवधान)----

31-08-2015/1130/SS-AG/2

प्रश्न संख्याः 2431

अध्यक्षः यह ग़लत बात है। प्लीज़ बैठ जाईये। माननीय मुख्य मंत्री जी। --(व्यवधान)--

मुख्य मंत्रीः यह बदतमीजी नहीं है। यह सच्चाई है। हम भी लड़ेंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं ,समझे। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः श्रीमती आशा कुमारी जी।

Smt. Asha Kumari: Sir, the information, which has been laid on the Table of the House, shows that in the year 2015-2016 no money has been approved by the Government of India. I would like to know from the Hon'ble Chief Minister that the proposal has been received back saying that after additional allocation of funds is made available, funds will be allotted. When funds have not been made available, where is the additionality. The Government of India has not given any money in this year for PMGSY which is very-very important scheme for the State. I want to know from the Chief Minister whether we will take up the issue with the Government of India, Ministry of Rural Development and Panchayati Raj for allocation of funds?

Chief Minister: Sir, as I have stated in my reply, I want to say that the sanctioned works under PMGSY for the year 2015-2016 was 100 (roads - 77 and bridges - 23). Sanctioned amount is Rs. 246.29 crores. A shelf of Rs.731.59 crores was sent for 188 works to the Government of India under PMGSY for the year 2015-2016. But the proposal has been received back on 21.07.2015 with the remarks that eligible proposals can be considered by the Ministry only after additional allocation of funds is made available and till today we have received no response from the Government of India.

31-08-2015/1130/SS-AG/3

श्रीमती आशा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि पी0एम0जी0एस0वाई0 की हमारी जो स्कीम्ज़ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये मेज़र रोडस हैं क्या सैंट्रल मिनिस्ट्री के साथ हिमाचल सरकार एक बार फिर से मसला उठायेगी? ये एलोकेशन ऑफ एडिशनल फंड की बात कर रहे हैं..

जारी श्रीमती के0एस0

31.08.2015/1135/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्या: 3431 जारी----

श्रीमती आशा कुमारी जारी-----

इन्होंने तो कोई फंड दिया ही नहीं है। जब से केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार आई है हिमाचल प्रदेश से यह सौतेला व्यवहार है और कोई पैसा नहीं आया है। क्या इसको आप टेकअप करेंगें?

Chief Minister: Sir, we will take up this matter for approval of the shelf with the Government of India again.

प्रश्न समाप्त

31.08.2015/1135/केएस/एजी/2

प्रश्न संख्या 2432

अध्यक्ष: श्री गुलाब सिंह ठाकुर, Not interested .

31.08.2015/1135/केएस/एजी/3

Question No. 2433

Irrigation & Public Health Minister: Sir, during the year 2013-2014, 2014-2015 and 2015 - DPR - irrigation & water supply schemes of the Hon'ble MLA priority in Kasumpti Constituency - the Hon'ble MLA has not given any priority under irrigation, flood protection and water supply. However, the priority is given by the MLA. Since 2008 these are all old MLA schemes. Since 2007-2008 to 2012-2013, 9 Nos. (8 Nos. Irrigation and 1 No. WSS) Schemes have been proposed under MLA priority out of which DPRs of 6 Nos. schemes have been prepared, 3 Nos. DPRs approved (2 Nos. schemes completed and work of 1 No. WS is in progress), 1 No. DPR prepared KVS to be formed by beneficiaries, 2 Nos. schemes have been proposed under Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP), and 3 Nos. schemes found infeasible. Scheme wise detail has already been given. However, two irrigation and two water supply schemes were approved under NCPSP, NABARD and NRDWP sector which are under execution in Kasumpti Constituency in these years. Physical progress of improvement of FIS commodity is 95 per cent and improvement of FIS Dhar-Nerkot- 70 per cent. Physical progress of WLS Sumheli Pujarli NABARD is 80 per cent. These are the old priorities given by MLA. During his (Hon'ble MLA, Kasumpti) tenure, no priority for water supply and irrigation scheme has been proposed so far.

Concluded

31.08.2015/1135/केएस/एजी/4

Speaker: Please keep quiet. ------(व्यवधान) --- Please sit down. I request you. मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। ये बातें अब खत्म हो गई और कोई भी किस्सा हो वह खत्म भी होना चाहिए। मेरा दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप शान्ति रखिए और शांतिपूर्वक सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। अगर कोई ऐसा मामला होगा तो उस पर हम संज्ञान लेंगें। ---(व्यवधान) -----भारद्वाज जी, अब इस मामले को खत्म करिए।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, सदन पहले भी चलता रहा है और आज भी चलेगा लेकिन सदन के नेता किसी विधायक के ऊपर कागज फेंके और इनका एक संसदीय सचिव गाली-गलौच करता रहे और फिर भी ये अपनी कुर्सियों पर बैठे रहे तो ऐसे तो नहीं चलेगा।---- (व्यवधान)---

अध्यक्षः नीरज जी, आप कृपया बैठिए।

श्री नीरज भारती, मुख्य संसदीय सचिवः अध्यक्ष महोदय, ये मेरे बारे में इतनी देर से बोल रहे हैं और आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने परसों क्या किया था? ----(व्यवधान)----मैंने क्या किया, आप बताओ? मैंने क्या किया। ----(व्यवधान)----। जहां तक फेस बुक की बात है, फेस बुक पर मेरा पर्सनल अकाऊंट है और मैंने किसी का भी नाम नहीं लिखा है। अगर मैंने नाम लिखा है तो ये बताएं। क्या मैंने इनके प्रधानमंत्री का नाम लिखा है? ये मेरे कल की पोस्ट की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या नाम लिखा है, ये पढ़कर बताएं? अगर आज की पोस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें भी नाम पढ़ कर सुनाएं। ----(व्यवधान) ---जो ये करते हैं, ये देखिए (कुछ कागज़ात दिखाते हुए) ये पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की तस्वीरें हैं ,क्या इनको मैं सदन के पटल पर रखूं? ---(व्यवधान)----

श्रीमती अ0व0द्वारा जारी---

31.8.2015/1140/av/as/1

अध्यक्ष : एक मिनट बैठ जाइए। (---व्यवधान---) बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ तो जाइए।

श्री नीरज भारती (मुख्य संसदीय सचिव) : (---व्यवधान---)आपको दिया है क्या? आपको दिया है? (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : सुरेश भारद्वाज जी, आप पहले बैठ जाइए। (---व्यवधान---) लाइट तभी जलेगी जब मैं आदेश दूंगा। (---व्यवधान---) सुरेश भारद्वाज जी, एक मिनट। आप बैठ जाइए। (---व्यवधान---) प्लीज। (---व्यवधान---) महेश्वर सिंह जी, बोलिए।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, 28 अगस्त, 2015 को जो घटना इस मान्य सदन में घटित हुई है वह बहुत लज्जाजनक है और न केवल एक पक्ष के लिए बल्कि हम सबके लिए है। दोनों तरफ से ज्यादतियां हुई हैं। खेदजनक बात यह है कि उस दिन स्कूल के बच्चे यहां पर बैठकर सदन की कार्यवाही देख रहे थे। उस दिन कौन गलत था और कौन ठीक था; मैं उसके लिए आग्रह करूंगा कि इस पर मिट्टी डाले ताकि भविष्य में यहां पर इस प्रकार की कोई घटना घटित न हो और सदन चले। हमें इस संसदीय कार्यवाही में काम करते हुए 45 वर्ष हो गए हैं। हिमाचल विधान सभा के अंदर पहली बार ऐसी दुःखदायक घटना घटी है। यहां पर गणुराम जी के समय ऐसी घटना अभिघटित हुई थी। हमारी विधान सभा सबसे अच्छी जानी जाती थी और सबसे अच्छी इसलिए जानी जाती थी क्योंकि यहां पर सभ्यता से बात होती थी तथा हाऊस के अंदर अनुशासन होता था। यहां पर जिस प्रकार से निरंतर अनुशासनहीनता बढ़ रही है मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आयेगा जब यहां पर अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें उपाय खोजने पड़ेंगे। (---व्यवधान---)

31.8.2015/1140/av/as/2

अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। (---व्यवधान---) अब इस चर्चा को खत्म करिए। (---व्यवधान---) मैंने आप लोगों की बात सुन ली है। काफी सुन ली है। (---व्यवधान---) मैं नहीं सुनूंगा। कितनी देर सुनते रहेंगे। (---व्यवधान---) मैंने सुन ली है, काफी देर सुन ली है। (---व्यवधान---) मैं निवेदन कर रहा हूं कि नारेबाजी बंद करके मान्य सदन की कार्यवाही को चलने दें। (---व्यवधान---) आप लोग हर-कभी बीच में बोलना शुरु कर देते हैं, इसका क्या मतलब है? कोई अनुशासन भी तो होना चाहिए। विधान सभा की गरिमा (---व्यवधान---) और कोई नियम होना चाहिए। (---व्यवधान---) हो गया, खत्म हो गया। आप लोग बैठ जाइए। अब कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा। काम

करने दीजिए।(---व्यवधान---) आप सभी सदन की कार्यवाही में हिस्सा लीजिए। माननीय सदस्य, यह गलत तरीका है। (---व्यवधान---) काफी हो गया। आपने बहुत बोल दिया है। (---व्यवधान---) भारद्वाज जी, बोलिए। आप क्या बोलना चाहते हैं? (---व्यवधान---) सुरेश भारद्वाज जी।

श्री सुरेश भारद्वाज जी श्री टी सी द्वारा जारी

31.08.2015/1145/TC/AS/1

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत शान्तिपूर्वक अपनी बात कही थी और सूझाव भी दिया था कि यहां पर जो घटना शुक्रवार को हुई है, उसका रिजोल्व कैसे हो सकता है। आपने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। हमने उसमें कहा था कि 10बजे हमारी विधायक दल की बैठक है और 10 बजे ही आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसलिए पहले हम विधायक दल की बैठक में चर्चा करेंगे और उसके बाद बैठक में आएंगे । लेकिन 10 मिनट बाद जब हम वहां पहुँचे तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री वहां से जा चुके थे। जिसका अर्थ है कि ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार से सौहार्दपूर्ण ढंग से बात हों । परसों जब बैठक हुई थी, हमने उस दिन इनका 45 मिनट इन्तजार किया था, 10 मिनट ये भी तो हमारा इन्तजार कर सकते थे। हमने अपनी बात यहां पर रख दी है कि माननीय सदन के नेता ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है, उसके लिए जब तक ये माफी नहीं मांगते और यहां पर जो मुख्य संसदीय सचिव है,जिसने ये टिप्पणियां की है, उन्हें बर्खास्त नहीं करते, हम सहयोग नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम इस सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं। वॉक आउॅट कर रहे हैं।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिगर्मन कर गए)

संसदीय कार्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सदन के आखिरी दिन, सदन में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए बगैर कोई सदन से बाहर गये हों। लेकिन ये सदन से बाहर जा रहे हैं। कांग्रेस सदन में हर प्रकार की चर्चा के लिए तैयार थी ,लेकिन ये चर्चा नहीं चाहते ।

31.08.2015/1145/TC/AS/2

प्रश्न संख्याः 2434

अध्यक्षः श्री विजय अग्निहोत्री ,अनुपस्थित।

31.08.2015/1145/TC/AS/3

प्रश्न संख्याः 2435

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, सड़क निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने दोनों तरफ से सड़क निर्माण किया था। लेकिन बीच में बन्द कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कारण रहे कि सड़क निर्माण का कार्य बन्द कर दिया गया है ?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सड़क निर्माण का काम करना था, लेकिन बीच में फॉरेस्ट आ गया। जब तक फॉरेस्ट की क्लीयरेंस नहीं होती है, काम आगे नहीं बढ़ सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस जल्दी से जल्दी मिलें ।

प्रश्न समाप्त

31.08.2015/1145/TC/AS/4

प्रश्न संख्याः 2436

अध्यक्षः श्री रिखी राम कौंडल, अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः 2437

(कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं)

प्रश्न संख्याः 2438

अध्यक्षः श्री सुरेश भारद्वाज ,अनुपस्थित ।

प्रश्न संख्याः 2439

अध्यक्षः श्रीमती सरवीण चौधरी ,अनुपस्थित ।

प्रश्न संख्याः 2440

अध्यक्षः श्री ईश्वर दास धीमान ,अनुपस्थित ।

31.08.2015/1145/TC/AS/5

प्रश्न संख्याः 2441

श्री राम कुमार : मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहुँगा कि जैसे मैट्रो और ट्रॉई सिटी का प्लॉन बना है, उसी तरह से फोर सिटी को बनाने व बद्दी को मैट्रो से जोड़ने के लिए मामला केन्द्र सरकार को भेजने की कृपा करेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हम इस पर विचार कर रहे हैं और जहां तक सम्भव होगा, हम इसके बारे में उचित कार्रवाई करेंगे।

समाप्त

श्रीमती एन0एस0 ----जारी

31.08.2015/1150/NS/DC/1

प्रश्न संख्या : 2442

अध्यक्षः श्री महेन्द्र सिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 2443

अध्यक्षः श्री वीरेन्द्र कंवर ।

(अनुपस्थित)

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री राकेश कालिया ।

31.08.2015/1150/NS/DC/2

प्रश्न संख्या : 2444

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई प्रपोज़ल है कि यह जो एन.एम.टी रोड जो कि चंडीगढ़ से लेकर मुबारिकपुर तक हाईवे है और मुबारिकपुर से लेकर मेरे विधानसभा क्षेत्र के अन्त तक जहां से पंजाब की बोंडरी शुरू होती है 16 कि.मी. का क्षेत्र केवल स्टेट हाईवे है और उसके आगे जो पंजाब का रोड है वह भी नेशनल हाईवे किया गया है तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि इस 15-16 कि.मी. रोड को भी नैशनल इाईवे के साथ जोड़ दिया जाए क्योंकि उस सड़क की जो हालत है वह बहुत दयनीय है क्योंकि स्टेट के पास फंड नहीं होते कि इतने चौड़े रोड की मैंटेनैन्स की जा सके।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा अभी तक ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। मगर माननीय सदस्य के आग्रह को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर पुर्नविचार करेगी।

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा कोई स्पैशल फंड उस रोड के लिए देना चाहेगी ताकि उस रोड की ठीक से मुरम्मत हो जाए क्योंकि जितना पैसा पूरे डिवीज़न का बजट नहीं होता जितना उसकी रिपेयर को लगेगा और माननीय मुख्य मंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने कल हमारा कालेज नेशनलाईज़ कर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत ऋणी हूं और बहुत-बहुत आभारी हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसकी पूरी सूचना नहीं है कि इसमें कितना खर्च होगा, कितना रूपया चाहिए, क्या-क्या काम करने को बाकी है इसके बारे में मैं अपने वर्तमान विभाग से जानकारी प्राप्त करूंगा और we will take up this matter with proper authorities.

31.08.2015/1150/NS/DC/3

प्रश्न संख्या : 2403

अध्यक्ष: श्री सतपाल सिंह सत्ती ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 2445

अध्यक्ष: श्री बिक्रम सिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 2446

अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री पवन काजल

31.08.2015/1150/NS/DC/4

प्रश्न संख्या : 2447

श्री पवन काजल : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न यह पूछा था कि सरकार विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण दे रही है कि नहीं तो इसके उत्तर आया है जी हां। पर जहां तक मेरी जानकारी के मुताबिक टैक्नीकल डिपार्टमैंट, आई.टी.आई. पोलटैक्निकल में 18 प्रतिशत, शिक्षा विभाग जे.बी.टी और बी.एड. में भी 18 प्रतिशत, आर्युवैदिक कालेज, पपरोला में 12 प्रतिशत। एक तो माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह भिन्नता कैसे है कहीं 18 प्रतिशत और कहीं 12 प्रतिशत और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि सरकार एम.बी.बी.एस., हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय में भी ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण देगी? इसमें उत्तर है कि वर्तमान सरकार एम. बी.बी.एस. कोर्स में, चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, डा. यशवन्त सिंह परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय सोलन में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विभिन्न पाठयक्रमों में आरक्षण मुहैया करवा रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बी.एङ कोर्स में आरक्षण है। एक तो इन्होंने कहा कि आरक्षण है तो मेरी जहां तक जानकारी है जैसे कि एम.बी.बी.एस. में आज तक कोई भी आरक्षण नहीं है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में शून्य है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भविष्य में मुझे आश्वासन देंगे कि यह जो आपने उत्तर में कहा है कि आरक्षण ओ.बी.सी. के लिए है पर वास्तविक में इसमें नहीं है। मैं आश्वासन चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि इन्दिरा गांधी मैडिकल कालेज, शिमला में चार सीटें आऊट ऑफ 100 सीट हैं और इस तरह से डा. राजेन्द्र प्रसाद ।

श्री नेगी द्वारा ------- जारी

31.08.2015/1155/negi/Dc/1

प्रश्न संख्याः 2447..जारी...
माननीय मुख्य मंत्री महोदय.. जारी...

और इसी तरह से डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज टांडा में 200 में से 2 सीटें रिज़व हैं। ऐसा नही है कि मैडिकल कॉलेज में सीटें रिजर्व नहीं हैं।

31.08.2015/1155/negi/Dc/2

प्रश्न संख्याः 2448.

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कुल 622 अवैध कटान के मामले सामने आए हैं जिसमें 347.0555 घन मीटर लकड़ी संलिप्त है और इसकी कीमत 1,19,75,942/- रूपये आंकी गई है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन सारे वर्णित केसों में कितने में कार्रवाई हो चुकी है और कितने लम्बित पड़े हैं? क्या लम्बित मामलों पर भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और इसका मुख्य कारण क्या है? निरन्तर ये जो संख्या बढ़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फील्ड़ में, फील्ड़ स्टॉफ की, जगह-जगह गार्डज़ और जो ब्लॉक आफिसर्ज़ हैं, जिनका मुख्य दायित्व है कि जंगल का पैरा हो, कमी है। आपने कुछ दिन पूर्व कुछ पोस्टें भरीं हैं। लेकिन मैं कुल्लू का उदाहरण देना चाहूंगा, वहां पर भी इस प्रकार के मामले कम नहीं हैं और निरन्तर बढ़ रहे हैं। इस बार आपने इनकी संख्या 42 बतायी है। कहीं गार्ड़ों की कमी इसका कारण तो नही है? जैसे मैंने कहा कि कुछ पोस्टें भरी गई। लेकिन कुल्लू में एक बार आपने 40 पोस्टें स्वीकृत की जिसके विरूद्ध आज भर्ती हो गई है। लेकिन 20 पोस्टों को स्वीकृत करने में देर हुई है। इतने में उन्होंने नोटिस निकाल दिया था इसलिए वो भरी नहीं गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो 20 और पद स्वीकृत पड़ें हैं और आपकी वैटिंग लिस्ट बनी हुई है, क्या आप उनको अविलम्ब स्वीकृति प्रदान करेंगे ताकि इसी पैनल में से ये 20 पद भी भरी जाएं?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने यह जो केसिज़ की बात की है, अधिकतर केसिज़ राईट होल्टर से संबंधित हैं। पेड़ घरेलू इस्तेमाल के लिए काटे गए हैं, कार्रवाई हो रही है।

जहां तक आपने पोस्टों की बात की है, पिछली सरकार ने गार्ड़ों की पोस्टें नहीं भरी थी और 800 के करीब गार्डज़ की पोस्टें रिक्त पड़ी थी । हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया और इन्होंने गार्ड कीर 205 पोस्टें पहले दी और 433

31.08.2015/1155/negi/Dc/3

पोस्टें फिर दी। हमने 205 पोस्टें भर दी और उनकी ट्रेनिंग हो गई और उसके बाद वे वीटों में लगा दिए क्योंकि वीटों में कमी थी । अब 433 पोस्टें और भरी गई हैं ।

जहां तक आपने कुल्लू की बात की है, वहां 60 के करीब पोस्टें खाली पड़ी थी और उनको भरने का प्रोसैस हमने पूरा कर लिया है। लेकिन अगर कोई कमी रही है तो जो एक्स-सर्विस मैन होते हैं या ओ.बी.सी. के लोग होते हैं और जो होम-गार्ड के लोग होते हैं, होम-गार्ड तो इन्टरव्यु में ही डायरेक्ट भर्ती हो जाता है। लेकिन एक्स-सर्विस मैन हमें लेट भेजते हैं । वह सीनियोरटी-वाइज़ लिस्ट भेजते हैं और उसके मुताबिक भरी जाती हैं। जहां तक आप 20 सीटों की बात कर रहे हैं, यह मेरे नॉलेज़ में नही है। अब मैं सारा पता करके कि I will find out that what is the factual position? और उसके तहत हम उचित कार्रवाई अमल में लाएंगे और बड़ी जल्दी भरने की कोशिश करेंगे। हमने कोशिश की है कि सारे प्रदेश में बीट गार्डज़ की पोस्टों की जो कमी थी उनको भरा जाए। This is the continuous process. जहां ब्लॉक आफिसर की कमी है, ब्लॉक आफिसर की हमने थोक में प्रमोशन की हैं। ऐसे ही रेंजरों की प्रमोशन्ज़ की हैं और उनकी पोस्टिंग्ज़ भी की हैं। लेकिन जो उनकी स्थिति है, कोई 4 महीने बाद रिटायर हो रहा है और कोई 6 महीने के बाद रिटायर हो रहा है। तो सारे प्रोसैस को हम नीचे से ले करके ऊपर तक....

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

31.08.2015/1200/**यूके**/**एजी**/1

प्रश्न संख्या-2448---क्रमागत---
वन मंत्री--जारी---

तो सारे प्रोस्सेस को हम नीचे से लेकर ऊपर तक फिर सरकार के पास, माननीय मुख्य मंत्री के पास भेज रहे हैं और जो-जो कमी होंगी, उसके मुताबिक हम भरने की कोशिश करेंगे ।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर मंत्री जी ने दिया है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि जो इन्होंने कहा है, करेंगे ताकि ये 20 पद भी जल्दी भरे जाएं । लेकिन मैं मंत्री जी से एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि गार्ड सर्कल कैडर पोस्ट है । इसलिए पीछे जितने भी साक्षात्कार होते थे, उसमे अभ्यार्थी उसी सर्कल के आते थे । इस बार बाहर के अभ्यार्थी भी आए । जिस पर मुझे आपत्ति नहीं है, वे भी चयनित हुए हैं और वे भी लग गए । क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे क्योंकि यह सर्कल कैडर है उनसे ऐफिडेविट बनवाएं कि वे अपनी ट्रांसफर अपने घरों के सर्कल को नहीं करवाएंगे । नहीं तो कुल्लू सर्कल ट्रेनिंग सर्कल बनेगा और ये सब अपने घरों मे चले जाएंगे फिर रिक्तता हो जाएगी । इसलिए इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सर्कल कैडर का आदमी सर्कल कैडर से ही रिटायर हो कर के जाएगा ।

वन मंत्रीः वैसे तो भारतवर्ष का कोई भी नागरिक, उसको इन्श्योर करना पड़ता है कि वह भारतवर्ष नागरिक है या नहीं है, भारतवर्ष का कोई भी नागरिक इस इन्टरव्यू में अपीयर हो सकता है । जहां तक सर्कल की बात है, यह ठीक है कि गार्डों की भरती सर्कलवाईज़ होती है । पर किसी भी सर्कल में हिमाचल प्रदेश का कोई भी आदमी इन्टरव्यू दे सकता है और उसी सर्कल में वे रहेगा । उसमें रूल में प्रावधान है, कंडिशन है कि 5 साल के बाद, जैसे कांट्रैक्ट टीचर का है कि वह 5 साल मे जाएगा । ऐसे ही इसमें भी प्रावधान है । जो भी रूल के मुताबिक होगा, आगे उसको फॉलो करेंगे ।

प्रश्नकाल समाप्त

31.08.2015/1200/यूके/एजी/2

<u>मुख्य मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी एक स्पष्टीकरण देंगे ।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन में कई दशक हो गए हैं । मैं मुख्य मंत्री के रूप में भी रहा हूं और विपक्ष के नेता के रूप में भी रहा हूं । मगर विपक्ष का व्यवहार जिस प्रकार से दिन-प्रति-दिन गिरता जा रहा है They are trying to hold

this House to ransom on one pretext or the other. यह एक चिंता का विषय है। क्या वे प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं? जो चाहे मनमाने तरीके से खड़े हो कर, बिना आपकी अनुमति के जो कहना चाहता है, कह देता है और वह फिर प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड हो रहा है।

अध्यक्ष महादय, विधान सभा के अन्दर जो दो दिन यानि 28 अगस्त को और आज 31 अगस्त को जो विधान सभा के अन्दर प्रदर्शन हुआ है, यह शर्मनाक है। विपक्ष को प्रोटैस्ट करने के लिए पूरी आजादी है। किसी मामले को चाहे वह सही है या सही न हो वे प्रोटैस्ट कर सकते हैं। वैल ऑफ दि हाऊस में आ सकते हैं। यद्यपि वैल ऑफ हाऊस में बहुत ही गंभीर मामले को ले कर कभी-कभी आते हैं। अगर इसमें आना-जाना एक आम हो जाए तो इसका महत्व नहीं रहता। शुक्रवार को जो सैशन हुआ था उसमें विपक्ष वैल ऑफ दि हाऊस में गया। जब हम विपक्ष में थे तो हम भी वैल ऑफ दि हाऊस में जाते थे। मगर उसकी भी मर्यादा होती है। कभी-कभी, शायद हम 5 साल में दो-तीन बार गए होंगे। इन्होंने तो हर सैशन का एक नजारा बना दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री सत्तपाल सिंह सत्ती जो इस माननीय सदन के सदस्य हैं और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वे विपक्ष के सदस्यों के साथ आगे-आगे बढ़े और मेरे सामने आए और उन्होंने मैं यहां खड़ा था वे इधर खड़े थे, उन्होंने एक कागज जो कि मैने पढ़ा नही, मैने उसको फाड़ा नहीं, मैने उसको अपनी मुट्ठी में डाल कर उनको वापिस दे दिया। That's all. यह कोई तरीका नहीं है कि आप

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

31.08.2015/1205/sls-ag-1

माननीय मुख्य मंत्री...जारी

कि आप चीफ मीनिस्टर को या किसी मंत्री को या किसी को भी कागज़ वैल ऑफ द हाऊस में पकड़ाएं। अगर उन्होंने कागज़ देना था तो वह उसे सभा पटल पर रख सकते हैं which can be conveyed to me by your office, या वो किसी दूसरे तरीके से कर सकते थे। इसलिए मैंने उसको लेने से इंकार कर दिया। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। मेरे दिल में किसी के प्रति विरोध भावना नहीं है। मैं सब मैंबर्ज़ का सम्मान करता हूं और मैं इस संस्था का सम्मान करता हूं जो कि एक प्रजातांत्रिक संस्था है। लेकिन इस सब की भी सीमाएं होती हैं। जब सीमाओं को तोड़ा जाए और फिर कहा जाए कि सीमाओं को

तोड़ना हमारा हक है तो यह बहुत गलत बात है। आज इन्होंने बहुत-सी बातें कीं। आज मैं सदन में रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि श्री प्रेम कुमार धूमल का मेरे प्रति हमेशा वैमनस्य का व्यवहार रहा है। जब मैं यहां पर भी नहीं था ,केंद्र में मैंबर पार्लियामैंट था ,उस वक्त भी इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ मुकद्दमा बनाया। I faced a full-fledged Sessions trial and I was honourably acquitted by the court. उस समय इन्हीं की सरकार और इन्हीं की पुलिस थी। उसके बाद दूसरा वक्त आया। मैं उस वक्त भी केंद्र में था। I was holding the post of Minister for Steel. उस वक्त भी इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की? यहां पर एक फॉलस फैबरिकेटिड मुकद्दमा चलाया गया। यहां तक कि गवाहों ने जो ब्यान दिए थे उनको फाड़ कर शिमला के अंदर उन्हीं के नाम से गलत ब्यान दिए गए, जो बाद में, जब वे यहां अदालत में पेश हुए ,उससे साबित हो गया। फिर ट्रायल चला। I was again acquitted. Is this job of a Chief Minister? You fight the Opposition by democratic means, face to face and not taking recourse to the courts. यह इनका काम है। शांता कुमार जी भी पहले यहां पर मुख्य मंत्री रहे और दो दफ़ा रहे। हमारे उनके साथ भी वैचारिक मतभेत थे। मगर उनके अंदर शालीनता थी। उन्होंने कभी अपने विरोधियों को कोर्ट में नहीं घसीटा। ये पहले मुख्य मंत्री थे जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की। गलत बोलना और गलत ब्यानी करना , मुकरना, झूठ बोलना; यह इनकी आदत है।

31.08.2015/1205/sls-ag-2

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, आज यह झगड़ा किस बात का है? I want to tell the State through this House. झगड़ा क्रिकेट को लेकर है। आप जानते हैं कि उस वक्त मैं दिल्ली में था ,यहां नहीं था। हमारे आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी उस वक्त हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। इन्होंने ही एक चार्जशीट कमेटी का गठन किया। इनकी उस वक्त की सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए to find out the facts against the wrong doings of the previous Government. इनकी सरकार के वक्त यह चार्जशीट बनी। चार्जशीट कमेटी के चेयरमैन श्री बाली जी थे ,और भी उसमें कई दूसरे सदस्य थे। मैं उसका सदस्य नहीं था। चार्जशीट फ्रेम की गई और उसकी कॉपी राष्ट्रपति जी को दी गई और यहां के राज्यपाल को भी दी गई। इतने में चुनाव की घोषणा हो गई। चुनाव के बाद मैं मुख्य मंत्री बन गया। हमारा जो चुनाव घोषणा-पत्र था , वह मैंने नहीं बनाया था। चुनाव घोषणा-पत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा थे। चुनाव

घोषणा-पत्र में लिखा था कि यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो वह चार्जशीट के मुताबिक कार्रवाई करेगी। इसलिए मैंने अपना काम किया। इसमें बाकायदा इनवैस्टिगेशन हुई है और आज मुकद्दमें कोर्ट में हैं। झगड़ा किस बात का है? इसी बात का है कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो जगह-जगह पर बेशकीमती ज़मीन क्रिकेट एसोसियेशन, हिमाचल प्रदेश को कौड़ियों के दाम पर दी गई। I don't mind. अगर स्पोर्ट्स को प्रोमोट करने के लिए सरकार मदद करती है, then there is nothing wrong in that. Personally I feel. मगर वही नहीं हुआ। वे बाद में चुपके से कानपुर चले गए और उन्होंने उस क्रिकेट एसोसियेशन को वहां जाकर एच.पी.सी.ए. बनाया , रजिस्टर्ड किया। उसका नाम एच.पी.सी.ए. ज़रूर था लेकिन उसकी फुल फौर्म थी - हिमालयन प्लेयर्ज़ क्रिकेट एसोसियेशन।

जारी..श्री गर्ग द्वारा

31/08/2015/1210/RG/AS/1

मुख्य मंत्री---क्रमागत

उसका नाम एच.पी.सी.ए. जरूर था, लेकिन उसका नाम था' हिमालयन प्लेयर्ज क्रिकेट ऐसोसियेशन', नाम ही बदल दिया। कुछ दिनों के बाद कानपुर में उसको एच.पी.सी.ए. में फिर बदल दिया और कंपनीज़ ऐक्ट के अंदर उसको कंपनी बना दिया। अब कहते हैं कि हम तो उसके मालिक हैं। हिमाचल सरकार का इससे क्या कंसर्न? We are independent body और आज हालत है कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट ऐसोसियेशन का जो दफ्तर है वह हिमाचल में नहीं है ,वह जालंधर से चल रहा है और उसके वोटिंग मेम्बर्ज कौन हैं ,लाईफ मेंबर्ज हैं या पैटर्न्ज हैं। वे कौन हैं? अधिकांश जालंधर और लुधियाना के लोग हैं, हिमाचल के चंद हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे चलेगी ऐसोसियेशन? और यही नहीं है, उन्होंने कहा कि हमको पांच सितारा होटल बनाना है , अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आते हैं ,हमें उसमें रहना है ,हमें लोगों को उसमें रखना है। हमें एक आलीशान होटल बनाना चाहिए। उसके लिए जमीन का पट्टा लिया गया। पट्टे में क्या लिखा था? बन्जर कदीम बिना दरख्तान, barren land without trees, आज वहां मकान बनकर तैयार हुआ है और 1500 से ज्यादा दरख्त आज भी खड़े हैं। तो वह बंजर कदीम कहां से हो गया? All the irregularities are being looked into. I am not cowed down by that. मुझे पता है कि अनुराग ठाकुर के दिल्ली में कई पैटर्न्ज हैं। वे अपना प्रभाव मुझे दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन 'सत्यमेव जयते नानृतम् , लेकिन अन्त में जीत सच्चाई की होती है। What enquiry they want against me? I

am facing Income Tax enquiry. I am facing CBI inquiry. एक बार मुझे सी.बी.आई. ने क्लीन चिट भी दी ,लेकिन फिर दुबारा सी.बी.आई इन्क्वायरी , I am facing ED inquiry. अब तो बाकी यही रह गया है कि वे अमरीका में एफ.बी.आई. को लिखें या बिट्रेन में कौन सी इन्टैलीजैंस एजेन्सी है ,शायद एम.आई.5 या 6 है, उसको लिखें। तो यह कोई तरीका है? I can't be cowed down by that. अगर मुझे अपना आखिरी कोट भी बेचना पड़े ,I will fight for my honour. I have to say something for the Press also. The way they write all these things, unconcerned about the welfare of the State. I am fighting for the welfare and honour of the State. I have no animosity against anybody. कल अगर यही लोग अपनी गलती मानकर वापस हिमाचल प्रदेश में आएं और ऐसोसियेशन को बहाल करें ,फ्री इलैक्शन कराएं, मेम्बरशिप ओपन करें और कायदे-कानून से चलें ,।

31/08/2015/1210/RG/AS/2

am not against it. जब सरकार को अंगूठा दिखाते हैं जिनकी वजह से यह सब कुछ हुआ है ,तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और मुझे भी कठघरे में खड़ा किया है।। am facing cases in Delhi High Court. I am facing some cases in Supreme Court. I am facing case in Income Tax Department. I am facing case in various other forums. I am doing that. I will face it gladly. I will do it as my duty and see that the law of land is upheld. I can't be cowed down by these people who are bullies. Therefore, Sir, I wanted to put on record what I have to say. Every word which I have said I can take oath. I have spoken truth, nothing but the truth.

(Concluded)

31/08/2015/1210/RG/AS/3

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत कराएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार है :-

सोमवार, 31 अगस्त, 2015

शासकीय विधायी कार्य।

एम.एस. द्वारा अध्यक्ष महोदय शुरू एवं अगली मद शुरू

31/08/2015/1215/MS/AS/1

कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे

अध्यक्षः अब कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे।

अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जोकि इस प्रकार है-:

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, जिला न्यायवादी, वर्ग-। (राजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः गृह(जी)ए(3)-2/2014 दिनांक 13.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.07.2015 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, संयुक्त निदेशक (अभियोजन) वर्ग-। (राजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः गृह(जी)ए(3)-1/2014 दिनांक 21.05.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.05.2015 को प्रकाशित ।

अध्यक्षः अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जोकि इस प्रकार है-:

(i) विद्युत अधिनियम, 2003की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय का वार्षिक प्रशासनिक विवरण, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित); और

31/08/2015/1215/MS/AS/2

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय का वार्षिक प्रशासनिक विवरण, वर्ष 2014-15 ।

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग के सूचना का अधिकार एवं वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्षः अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जोकि इस प्रकार है-:

(i) निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 की धारा 65(I) के अन्तर्गत विकलांगता पर वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14; और

(ii) नियन्त्रक महालेखाकार परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(क) के अन्तर्गत हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011- 12(विलम्ब के कारणों सहित)।

अध्यक्षः अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप धारा (5) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा

31/08/2015/1215/MS/AS/3

शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

31/08/2015/1215/MS/AS/4

<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे।

अब श्री राकेश कालिया, सदस्य, लोक लेखा समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश कालिया :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से (वर्ष 2015-16) के समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं जोकि इस प्रकार हैः-

(i) समिति के 74वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 98वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 75वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 99वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से (वर्ष 2015-16), समिति का 47वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के पंचम मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं ।

31/08/2015/1215/MS/AS/5

अध्यक्षः अब श्री संजय रतन, सदस्य ,सामान्य विकास समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री संजय रतन :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से (वर्ष 2015-16), समिति का 14वां मूल प्रतिवेदन जोकि प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की संवीक्षा पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष एवं सभापति, विशेषाधिकार समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से (वर्ष 2015-16), समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

31/08/2015/1215/MS/AS/6

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष जी, मुझे एक बात कहनी है।

अध्यक्षः बोलिए।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से किसानों से संबंधित एक ज्वलन्त समस्या इस माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आज इस सत्र का अंतिम दिन है।

मुख्य मंत्रीः क्या यह आइटम एजैंडे में है या नहीं?

श्री महेश्वर सिंहः एक मिनट सुन तो लीजिए।

मुख्य मंत्रीः क्या बोलने के लिए अनुमति ली है?

श्री महेश्वर सिंहः मुझे अलाऊ किया है। अध्यक्ष महोदय, आज इस सत्र का अंतिम दिन है और किसान संघ के सदस्य आज जो अवैध रूप से बागवानों से मार्किट फीस ली जा रही है, उसको लेकर इस विधान सभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। अध्यक्ष जी, जब से यह

सब्जी मण्डी बनी। सर्वप्रथम यह मार्किट फीस केवल और केवल जो मार्किट यार्ड में अपनी ऊपज लेकर जाता था ,उन पर लगती थी। वर्ष 2006में इसमें परिवर्तन आया और सारे हिमाचल को मार्किट यार्ड ही घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप फीस सब पर लगती थी। हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया कि अब यह मार्किट फीस किसानों से नहीं ली जाएगी। परन्तु खेद का विषय है कि इसके विपरीत जो किसान अपने फ्रूट्स को अपनी गाड़ी में लादकर ले जा रहे हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है और उनसे भी अवैध रूप से यह मार्किट फीस ली जा रही है। मार्किट फीस का अर्थ यह है कि यह उन पर लगेगी जो व्यक्ति इस फ्रूट को मार्किट में बेचेगा और बेचने को ले जाने वाले पर फीस लगाना बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है। आज जगह-जगह ए0पी0एम0सी0 के बैरियर्ज लगे हैं। यदि वह किसान एक बैरियर से छूटता है तो उसको दूसरे में पकड़ लेते हैं और अगर दूसरे से छूटता है तो तीसरे बैरियर में पकड़ लेते हैं। जो किसान पहले बाहर जाकर अपनी ऊपज बेचता था, उसको फीस के रूप में केवल तीन रुपये देने पड़ते थे और आज 27 रुपये प्रति पेटी उससे लिए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया इसमें हस्तक्षेप करें,

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

31.08.2015/1220/जेएस/डीसी/1

श्री महेश्वर सिंहः-----जारी----------

मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वे हस्तक्षेप करें। एक तरफ तो फ्रूट की मार्किट गिर रही है और दूसरी तरह 27/-रूपये वसूलना कहां तक न्यायसंगत है? कृप्या इस सारे मैटर को देखें ताकि इस प्रकार से बागवानों को तंग न किया जाए।

Speaker : Hon'ble Member the matter is not in agenda , I think it is better you take up this matter with concerned Minister and you can write to the concerned department.

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

31.08.2015/1220/जेएस/डीसी/2

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

अध्यक्षः अब डॉ0 राजीव बिन्दल जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे।
अनुपस्थित।

31.08.2015/1220/जेएस/डीसी/3

विधायी कार्यः

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारणः

अध्यक्षःअब माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगी कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 19) पर विचार किया जाए।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 19) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 19) पर विचार किया जाए।
तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 19) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अब बिल पर खंडश विचार होगा।
तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 25 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

तो खण्ड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 और 25 विधेयक का अंग बनें।

31.08.2015/1220/जेएस/डीसी/4

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 19) को पारित किया जाए।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 19) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 19) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 19) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 19) पारित हुआ।

31.08.2015/1220/जेएस/डीसी/5

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश प्राईवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश प्राईवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश प्राईवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए।

तो हिमाचल प्रदेश प्राईवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अब बिल पर खंडशः विचार होगा। तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और विधायी और 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

31.08.2015/1220/जेएस/डीसी/6

प्रस्ताव स्वीकार।

खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

31-08-2015/1225/SS-DC/1

अध्यक्ष क्रमागतः

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21) को पारित किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21) पारित हुआ।

31-08-2015/1225/SS-DC/2

<u>हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17)</u>

अब आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

आबकारी एवं कराधान मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

31-08-2015/1225/SS-DC/3

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) को पारित किया जाए।

आबकारी एवं कराधान मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) पारित हुआ।

31-08-2015/1225/SS-DC/4

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 18)

अब आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 18) पर विचार किया जाए।
आबकारी एवं कराधान मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 18) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 18) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 18) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

31-08-2015/1225/SS-DC/5

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 18) को पारित किया जाए।

आबकारी एवं कराधान मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 18) को पारित किया जाए।

मा0 अध्यक्ष जारी श्रीमती के0एस0

31.08.2015/1230/**केएस**/**एजी**/1

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 18) को पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 18) पारित हुआ।

31.08.2015/1230/केएस/एजी/2

अध्यक्षः अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह)विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

आबकारी एवं कराधान मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह)विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह)विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

31.08.2015/1230/केएस/एजी/3

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह)विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

आबकारी एवं कराधान मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह)विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह)विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह)विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह)विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 20) पारित हुआ।

31.08.2015/1230/केएस/एजी/4

नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्षः अब नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख आए हैं। अगर सदन की अनुमति हो तो ये सूचनाएं सभा में प्रस्तुत हुई समझी जाएं ?

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं, उनका रिप्लाई भी नहीं आएगा । जो उपस्थित हैं, केवल उनका रिप्लाई ही ले हो सकता है।

अध्यक्षः ठीक है, अब श्री अनिरुद्ध सिंह जी नियम-324 के अंतर्गत अपना विषय उठाएंगें ।

श्री अनिरुद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम-324 के अंतर्गत सदन में उठा रहा हूं जिसका टैक्स्ट इस प्रकार हैः-

"मैं सरकार का ध्यान बी0सी0एस0 फेज- III सैक्टर-V से सुबह 8.45 पर पुराने बस अड्डे के लिए एक नई बस सेवा चलाने बारे आकर्षित करना चाहता हूँ। स्थानीय जनता द्वारा पूर्व में भी कई बार सरकार से अनुरोध किया गया है लेकिन अभी तक भी जनहित में यह मांग लम्बित पडी हुई है। इसके साथ सैक्टर-VI तक पुराने बस अड्डे से प्रातः 6.00 बजे से एक अतिरिक्त बस सेवा की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्थानीय जनता की मांग को देखते हुए बस सेवाएं जनहित में शीघ्रतिशीघ्र प्रारम्भ करने की कृपा करें ताकि आने-जाने में जो स्थानीय जनता को असुविधा हो रही है उससे उन्हें निजात मिल सकें।"

31.08.2015/1230/केएस/एजी/5

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में निगम बी.सी.एस. सैक्टर-6 फेज- III फेज- III सैक्टर-5 से पुराने बस अड्डे के लिए निम्नलिखित बस सेवाएं चला रहा है :-

1-सैक्टर-6 फेज- III से पुराने बस अड्डे प्रातः 09.00 बजे

2- सैक्टर-5 फेज- III से पुराने बस अड्डे प्रातः 09.05 बजे

3- सैक्टर-6 फेज- III से पुराने बस अड्डे प्रातः 10.00 बजे

4- सैक्टर-6 फेज- III से पुराने बस अड्डे प्रातः 11.00 बजे

5- सैक्टर-6 फेज- III से पुराने बस अड्डे दोपहर 12.00 बजे

6- सैक्टर-6 फेज- III से पुराने बस अड्डे दोपहर 01.30 बजे

7- सैक्टर-6 फेज- III से पुराने बस अड्डे सांय 05.10 बजे

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बसें स्कूल के लिए चलाई जा रही है :-

1-सैक्टर-6 फेज- III से ताराहाल स्कूल प्रातः 07.30 बजे

2- सैक्टर-6 फेज- III से चैप्सली स्कूल प्रातः 07.30 बजे

3- सैक्टर-6 फेज- III से एडवर्ड स्कूल प्रातः 07.30 बजे

31.08.2015/1230/केएस/एजी/6

यह स्कूल बस सेवाएं वापसी पर सैक्टर-6 फेस- III से सांय 3.10, 3.20 तथा 3.30 बजे पर यात्रियों को लेकर पुराने बस अड्डे को आती है।

अध्यक्ष महोदय, सैक्टर-5 व 6 फेज- III के लोगों द्वारा अतिरिक्त बसों की लगातार मांग की जा रही है, परन्तु कर्मचारियों की कमी के कारण वर्तमान में अतिरिक्त बस सेवाएं उपलब्ध नहीं की जा सकती हैं। सैक्टर-6 से प्रातः 9.00 बजे की बस प्रातः 8.45 बजे करने पर विचार किया जाएगा जैसे कि माननीय विधायक महोदय ने अनुरोध किया है। निगम द्वारा प्रातः 06.00 बजे पर पुराने/नये बस अड्डे के लिए बस सेवा स्टाफ की कमी पूरी होते ही आरम्भ कर दी जाएगी।

31.08.2015/1230/केएस/एजी/7

नियम-63 के अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा

अध्यक्षः नियम-63 के अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा थी, क्योंकि डॉ0 राजीव सैज़ल जी अनुपस्थित है इसलिए यह चर्चा नहीं होगी।

31.08.2015/1230/केएस/एजी/8

नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव

अध्यक्षः नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव था लेकिन श्री रिखी राम कौंडल जी भी अनुपस्थित है।

अब इस माननीय सदन की बैठक का समापन होने जा रहा है। आज इस सत्र का आखिरी दिन था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि क्या ये इस सदन के बारे में, जो सदन की कार्यवाही हुई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेगें?

मुख्य मंत्री जी अ0व0 की बारी में---

31.8.2015/1235/av/ag/1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज इस सत्र का अन्तिम दिन है और अब आज की कार्यवाही भी खत्म हो रही है। आगे कोई कार्यवाही नहीं है इसलिए अब इस सत्र का समापन हो रहा है। जहां तक सरकार का प्रश्न है तो जो भी हमारे प्रस्ताव ,कानून या कार्यक्रम थे वे सब सम्पूर्ण हुए हैं। यहां पर जो विपक्ष की तरफ से किया गया है वह सारे सदन को मालूम है और उसको दोहराने की जरुरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष भविष्य में ज्यादा जिम्मेवारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। चर्चा के बीच में गर्मा-गर्मी और बहस भी हो जाती है मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हर छोटी-से-छोटी बात को लेकर वाकआउट हो। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है मगर फिर भी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने कई दफ़ा बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी इस सदन का शांतिपूर्वक व बहुत अच्छी तरह से संचालन किया है। मैं कांग्रेस के सभी विधायकों को भी बधाई देता हूं कि in spite of their provocation आप लोगों ने इस सदन की गरिमा को कायम रखा। मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं और यह प्रश्न हिमाचल का ही नहीं है बल्कि सारे देश का है। आज फेसबुक बनी है और पूरे हिन्दुस्तान तथा दुनियाभर में फेसबुक चलती है। मगर जो फेसबुक में आता है वह हाऊस के अंदर कभी चर्चा के लिए नहीं आता। हमारे केंद्र सरकार या दिल्ली में बैठे राष्ट्रीय स्तर के बडे-बड़े नेताओं के बारे में जो बातें लिखी जाती हैं या फोटो छापे जाते हैं अगर उनको सभा के पटल पर रखा जाए; मैं समझता हूं कि शर्म की बात होगी। अगर हमारा कोई मैम्बर अपनी फेसबुक चला रहा है, उसमें किसी का नाम नहीं है, उसमें किसी को इंगित नहीं किया है तो ये लोग उस चीज़ को अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब तो 'चोर की दाढ़ी में तिनका' है। ये लोग अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? फेसबुक पर रोज बातें लिखी जाती हैं। मैं तो फेसबुक यूज़ नहीं करता मगर यदि कोई अपने फेसबुक के अकाऊंट पर कुछ लिखता है या यूज़ करता है that should not be considered something said by the Party or the Government. मैं यह

31.8.2015/1235/av/ag/2

कहना चाहता हूं कि इसके लिए ऑब्जैक्शन्ज देना गलत है। दिल्ली के अंदर हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बारे में फेसबुक पर आता है वह उसको इग्नोर करते हैं। इसलिए उसको यहां पर लाना गलत बात है।

अन्त में,मैं अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों की ओर से आपको सदन के कुशल संचालन के लिए बधाई देता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विधान सभा सत्र के दौरान सबसे ज्यादा स्ट्रैस विधान सभा के स्टाफ और हमारे सचिवालय के मन्त्रालय के स्टाफ पर होता है। उनको देर रात तक बैठकर प्रश्नों के उत्तर तैयार करने होते हैं। सचिव, विधान सभा या जो यहां का दूसरा स्टाफ है, they are also under stress. They have to work over night to see that कि जो मामला है या विधान सभा की जो कार्यवाही है; वह ठीक चले। सारे प्रश्नों के उत्तर समय पर आ जायें। रिपोर्टिंग ठीक से हो; यह सारी उनकी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं मीडिया को भी बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने आमतौर पर हाऊस की प्रोसीडिंग्ज को अच्छी तरह से छापा है। There may be one or two transgressions. But single sparrow does not make summer. The question is that by and large, the reporting has been fair. It has been objective. They have kept up their high traditions of the Press and the electronic media. Thank you, Sir.

(Concluded)

31.8.2015/1235/av/ag/3

अध्यक्ष : माननीय महेश्वर सिंह जी, बोलिए।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष : वैसे सदन के नेता के बाद तो नहीं बोलना चाहिए।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसे सदन की अनुमति होगी वैसे करूंगा। वैसे मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष : अच्छा बोलिए।

श्री टी सी द्वारा जारी

31.08.2015/1240/TC/AS/1

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, इस सत्र का शुभारम्भ बहुत ही शांन्तिप्रिय ढंग से हुआ था। आशा थी कि इस बार इसी प्रकार से शान्तिप्रिय, अनुशासित ढंग से इस सत्र का समापन भी होगा। खेद का विषय है कि कुछ ऐसी घटनाएं अविघटित हो गई, जिनको लेकर कई बार यहां व्यवधान भी उत्पन्न हुआ। लेकिन कभी-कभी गलतियां हो जाती है, चाहे वे इस तरफ से हों या उस तरफ से हों। दोषारोपण के बजाये हम सबको आत्म चिंतन करना होगा और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि आने वाले समय में इस प्रकार की लज्जाजनक घटना न अविघटित हो। ताकि सारे हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने हम हंसी का पात्र बने। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भगवान हम सबको सदबुद्धि प्रदान करें ताकि यह सत्र शांन्ति से चलें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

31.8.2015/1240/TC/AS/2

मुख्य मंत्रीः महेश्वर सिंह जी भाषण के लिए आपका धन्यवाद। सदबुद्धि हमारे अन्दर हैं। आप विपक्ष की ओर मुड़कर बोलिए कि सदबुद्धि भगवान इनको दें।

अध्यक्षः आज मौनसून सत्र का अंतिम दिन है। इस सत्र में केवल सात बैठकें आयोजित हुई। इन बैठकों के दौरान इस मान्य सदन में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक वाद-विवाद हुआ। माननीय सदस्यों ने चर्चा के विषय उठाये और जो सार्थक सुझाव दिए है, वे सब बधाई के पात्र हैं।

नियम-62 के अन्तर्गत 2 विषयों पर चर्चा की गई। नियम-101 के अन्तर्गत चार गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए गए, जिन में से दो संकल्पों पर सार्थक चर्चा की गई तथा एक संकल्प अगले सत्र के लिए चर्चा हेतु लम्बित रखा तथा समय अभाव के कारण चर्चा नहीं हो पाई।

नियम-102 के अन्तर्गत सरकार द्वारा एक संकल्प प्रस्तुत किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित किया।

नियम-130 के अन्तर्गत प्रदेश हित से जुड़े 4 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा बहुमुल्य सुझाव दिए गए।

इस सत्र के दौरान 317 तारांकित तथा 126 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए।
आठ सरकारी विधेयक भी सभा में पुरःस्थापित हुए एवं सभा द्वारा पारित किए गए।

नियम- 324के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 3 विषय सभा में उठाये गये तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की सूचना सभा को दी गई। सभा की समितियों ने भी 29 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत एवं उपस्थापित किये।

31.08.2015/1240/TC/AS/3

इसके अतिरिक्त मंत्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए, वे भी बधाई के पात्र है।

अन्त में, मैं, आप सभी का धन्यवादी हूँ कि आपने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया। विशेषतौर पर माननीय सदन के नेता श्री वीरभद्र सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ,उपाध्यक्ष महोदय श्री जगत सिंह नेगी जी, जिन्होंने सदन के संचालन में पूर्ण सहयोग और मार्ग दर्शन दिया ,मैं उनका धन्यवादी हूँ । मैं सभापति पैनल के सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बारी-बारी सदन चलाने में सहयोग दिया। इस सदन के संचालन में सरकार व विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन-रात सेवाएं दी, वे भी प्रंशसनीय है। पत्रकार बंधुओं ने भी सदन की कार्यवाही को आम जनता तक पहुँचाने में अच्छी भूमिका निभाई, वे भी बधाई के पात्र हैं।

इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं ----

श्रीमती एन0एस0 ----जारी

31.08.2015/1245/NS/AS/1

अध्यक्ष --------- क्रमागत।
इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करूं, इस सभा में उपस्थित सभी से मेरा निवेदन है कि आगामी सत्रों में जब भी हमारे सत्र होते हैं उसमें नियमों का पालन करें। विधान सभा के नियम और विधान सभा की जो मर्यादा है उसका संरक्षण करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का ही एक दायित्व बन जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि विधान सभा हिमाचल प्रदेश की गरिमा है। सारे देश में इसका लोहा माना जाता है और वैसे भी यह एक हैरिटेज़ असैंबली है। यहां पर 1920 में देश के बड़े-बड़े नेताओं ने कई परम्पराएं रखी हैं और उन परम्पराओं को हम आगे बढ़ाते जाएं और फिजूल की बातों को दिल में न लगाएं। मेरी यही कामना है कि अगले आने वाले सत्रों में सदन के संचालन में पूरा भाग लें। मैंने भरसक प्रयास किया है कि सदन में व्यवधान न हो, नियमानुसार काम चले लेकिन कई घटनाएं ऐसी होती हैं उस के लिए मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूं। कुछ सदस्यों की वजह से और कुछ बातें ऐसी हुईं जिसकी वजह से व्यवधान हुए हैं। हमें हमेशा यह ख्याल रखना चाहिए कि एक-एक सदस्य की गरिमा है, विधानसभा की गरिमा है और उसकी वजह से इस प्रदेश का एक गरिमामय स्थान है। इस मान्य सदन का सम्मान रखना और नियमों के अनुसार चलना हम सभी का फर्ज़ बन जाता है। मैं अब इस सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करूं इससे पहले मैं सभी उपस्थित माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(सभी माननीय सदस्य राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

31.08.2015/1245/NS/AS/2

अब इस सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

शिमला-171004
दिनांकः 31 अगस्त, 2015

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव।